

कार्यालय निदेशक सैकडरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।

आदेश क्रमांक 23- / 556-2000 वि० T 3 दिनांक चण्डीगढ़:-

आय कन्या पारिवारिक सुल पानीपत

को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से 10+2 तक स्तर की सम्बन्धता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय सम-समक पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों की पालना करता रहेगा तथा हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 के जो रूख बनें विद्यालय को मान्य हों।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाणपत्र पापिल लिया जा सकता है।

सुमिता मिश्रा सिंह
निदेशक सैकडरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।

पृष्ठांक क्रमांक

तम

दिनांक चण्डीगढ़:- 7-3-2011

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शिक्षा आधिकारिक पानीपत को उनके पत्र क्रमांक 260/527-28 01.22.12.2000 के अन्तर्गत।

2. प्रमुख/सुदण्ड/आय कन्या पारिवारिक सुल पानीपत जिला पानीपत

3. तत्त्व. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सैन्टर प्रीत बहार, नई दिल्ली- 110092.

अधीक्षक विद्यालय 7/3
हुते: निदेशक सैकडरी शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ़।